न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क्र0सं0	पूर्व पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	वर्तमान पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	38/24	09.12.2024	46/25 (2025/101)	16.01.2025	29.12.2025	1 लगायत 3

1. राजहंस पुत्रान कांजी जाति गुर्जर निवासी फिरासपुर तहसील गंगापुर सिटी
2. कैलाश पुत्रान कांजी जाति गुर्जर निवासी फिरासपुर तहसील गंगापुर सिटी
3. हरस्वरूप पुत्रान कांजी जाति गुर्जर निवासी फिरासपुर तहसील गंगापुर सिटी
4. हरकेश पुत्रान कांजी जाति गुर्जर निवासी फिरासपुर तहसील गंगापुर सिटी

–अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी । –रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः–

अपीलार्थी की और से :– विद्वान अभिभाषक श्री बीरबल गुर्जर ।

रेस्पोडेन्ट की और से :– पेरोकार सरकार

अपील धारा 75 अर्न्तगत भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के न्तर्गत तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा मिसल संख्या 86/2024 में पारित निर्णय दिनांक 9.08.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम फराशपुर के आराजी ख0नं0 146 रकबा 0.54 है0 किस्म चाही 3 एवं जाव 3 (मंदिर माफी) पर अनाधिकृत रूप से तिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप ास्ति आरोपित करने एवं सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया या है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये ोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की ई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभ[illegible]ी बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में वर्णि[illegible]थ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ [illegible] एवं रूयेदाद मिस[illegible] से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.01.13 16:05:35 IST
Reason: Certified/Attested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

नेरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को आराजी खसरा नम्बर 146 कबा 0.54 है0 वाके ग्राम फराशपुर करीब 1 वर्ष से कोई कब्जा नहीं है तथा हल्का पटवारी । सम्वत् 2081 में बाजरे की फसल काश्त करना गलत बताया है। जबकि मौके पर अपीलान्ट । खरीब की फसल में बाजरे की फसल काश्त नहीं किया, जिस कम में अपीलान्ट ने अदालत ातहत में दुबारा मौका देखने का प्रार्थना पत्र भी पेश किया था तथा दुबारा बिना मौके पर ाये ही हल्का पटवारी ने उक्त फसल को पानी भरकर नष्ट हो जाना गलत दर्ज कर या।अपीलान्ट गांव के अशिक्षित वृद्ध व्यक्ति है, जो कानून के बारे में बहुत कम समझते है था अतिकमी मौके पर पूर्व में उक्त भूमि की खातेदारी अपीलान्ट के बुजुर्गान के नाम होने के ारण काबिज थे तथा सैटलमेन्ट ने उक्त जमीन को बिना कानून अवैध रूप से मंदिर श्री गाजी के नाम से दर्ज कर दिया। उक्त भूमि माफी मंदिर के नाम हो जाने के कारण रिसिवर ले ली गयी थी एवं रिसीवरी से वागुजास्त हो जाने के बाद उक्त भूमि मौके पर खाली पड़ी है। अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी ल्का की एक पक्षीय रिपोर्ट को आधार मानकर उक्त आदेश पारित किया है पटवारी हल्का रा कोई मौका नहीं देखा गया है ना ही कोई सीमाज्ञान किया गया है तथा एक पक्षीय ोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की है। किन्तु उसके पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त देश पारित किया है जो निरस्तनीय है। तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्र दिनांक 18.11. 25 के संलग्न पटवारी रिपोर्ट के अनुसार तहसीलदार गंगापुर सिटी के आदेश कमांक ास्व/2025/रिसीवरी/1158 दिनांक 03.06.2025 द्वारा रिसीवरी प्रकरण मूर्ति मंन्दिर श्री ाजी बनाम चिरंजी वगै0 फरासपुर में उक्त ख0नं0 की दिनांक 13.06.2025 को सम्वत् 2 की हककाश्त निलामी द्वारा हककाश्त निलामी कर दी गई है, साथ ही अधिवक्ता लान्ट ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु दन किया ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार कार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का सर प्रदान करने तथा अतिकमित आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिकमण पाये । के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता अवैधानिकता नहीं है, साथ ही पेरोकार सरकार ने अपील खारिज करने हेतु दन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.01.13 16:05:35 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0नं0 46/25 उनवान राजहंस बनाम सरकार

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु नोटिस जारी किया गया । जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट एवं बयान में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया हुआ है। तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्र दिनांक 18.11.2025 के संलग्न पटवारी रिपोर्ट के अनुसार तहसीलदार गंगापुर सिटी के आदेश कमांक राजस्व/2025/रिसीवरी/1158 दिनांक 03.06.2025 द्वारा रिसीवरी प्रकरण मूर्ति मंन्दिर श्री गंगाजी बनाम चिरंजी वगै0 फरासपुर में उक्त ख0नं0 की दिनांक 13.06.2025 को सम्वत् 2082 की हककाश्त निलामी द्वारा हककाश्त निलामी कर दी गई है।

अतएवः परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थी सजा की हद तक स्वीकार की जाती है तथा शेष बेदखली व शास्ति आदेश यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति. जिला कलक्टर,
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.01.13 16:05:35 IST
Reason: SelfAttested